हकियत वाद–84 / 2023

रुकमनी देवी वगैरह.....वादीगण

बनाम

राम बालक राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

23.08.24 'अभिलेख आज वादी की ओर से वादपत्र संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–15.09.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी सं0–1, 2, 5, 7 एवं 9 द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–14.03.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद अपने अधिकार की उद्घोषणा एवं दखल–कब्जा सम्पुष्टि हेतु लाया गया है, परन्तु बदौरान मुकदमा के प्रतिवादी प्रथम पक्ष वादी को विवादित भूमि से बेदखल कर दिया है जिसके कारण वादपत्र में संशोधन होना आवश्यक है तथा कुछ अमुरात वादपत्र में टंकित होना छुट गया है जिसे भी संशोधन के द्वारा लाया जाना आवश्यक है। वर्तमान वाद में अभी प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए और न ही वाद–विषय का गठन हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादी का संशोधन आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा वादी संशोधन के माध्यम से झूठे एवं नए शब्दों का समावेश करना चाहते हैं। वादीगण ने प्रतिवादी सं0– एवं 2 के केवाला के निश्वत वाद दाखिल किया है जिसकी जानकारी वादीगण को शुरु से रहती आयी तथा प्रतिवादीगण ने अपना प्रतिवाद–पत्र भी वादपत्र के निस्बत दाखिल कर चुका है वैसी परिस्थिति में वादपत्र में नए संशोधन से वाद–विषय एवं प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं उनके हितों को क्षति होने की सम्भावना है। प्रतिवादीगण का केवाला से खरीदगी के समय से मकान–मयसहन के रूप में दखल–कब्जे में है जिस पर एक क्षण के लिए भी वादीगण का दखल–कब्जा नहीं हुआ। वादी ने अपने संशोधन आवेदन में युक्तियुक्त कारणों को विशिष्ट रूप से अभिवचित नहीं किया है कि सम्यक तत्परता के बावजूद वादपत्र में संशोधन लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। वादी का संशोधन आवेदन के सभी कंडिकाओं में उल्लिखित कथन गलत वो निराधार है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त वादपत्र में संशोधन करने से वाद के स्वरुप में परिवर्तन होता है एवं जिस तथ्य का संशोधन वादी करना चाहते हैं वह मेल नहीं खाता है। अतः उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रारम्भिक अवस्था में है, जिसमें अभी विवादयक गठन नहीं हुआ है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादीगणों ने वादपत्र के कंडिका में शब्द संबंधी त्रुटियों में सुधार एवं कुछ शब्द टंकित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित करने का निवेदन किया है तथा जिसके संबंध में प्रतिवादीगणों द्वारा विरोध किया गया है, परन्तु चूँकि वर्तमान अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना प्रतिवादपत्र दाखिल किया है जिसकी सुनवाई हेतु अभिलेख प्रेषित है तथा वादीगण का प्रस्तावित संशोधन शब्द संबंधी त्रुटियां है जिसके संबंध में संशोधन हेतु निवेदन किया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत किया जाना उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक है। तदनुसार वादीगण द्वारा दाखिल उपरोक्त संशोधन आवेदन न्याहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर वादपत्र में प्रस्तावित संशोधन दर्ज करें तथा प्रतिवादीगण अगली निश्चित तिथि को अपने प्रतिवादपत्र के संबंध में सुनवाई हेतु उपस्थित रहें।

अभिलेख दिनांक– 12-11-2024 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत करें।

अवर न्यायाधीश,